न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 04 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट

पोकराराम पुत्र उम्मेदाराम का.मु.

1. आईदानराम पुत्र पोकराराम
2. चिमु देवी पत्नी पोकराराम

जाति जाट निवासी बाछडाऊ तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

रेसपोडेंटगण

बनाम 1.रावताराम पुत्र उम्मेदाराम

2डालुराम के कायम मुकाम

2 / 1मंछी देवी पत्नी डालुराम

2 / 2देदाराम पुत्र डालुराम

2 / 3भीखाराम पुत्र डालुराम

3.उदाराम पुत्र उम्मेदाराम का.मु.

3 / 1भोमाराम पुत्र उदाराम

3 / 2रामाराम पुत्र उदाराम

3 / 3रूकमों बैवा उदाराम जाति जाट निवासी बाछड़ाऊ तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

3 / 4नेनू देवी पुत्री उदाराम पत्नी अचलाराम जाति जाट भूंकर निवासी मीठड़ा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

4.रेखाराम पुत्र उम्मेदाराम

5.पूनमाराम पुत्र उम्मेदाराम जाति जाट निवासी बाछड़ाऊ तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

6.राज.राज्य जरिये तहसीलदार चौहटन

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 35 / 2000 बअनवान रावताराम बनाम डालुराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.09.2005 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री भंवरलाल चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पवनगिरी सोड़ियार रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

दिनांकः— 15.11.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण व रेसपोडेंटगण संख्या 01 से 05 तक एक ही परिवार के सदस्य है जिनका सामलाती खेत ग्राम बाछड़ाऊ व खेमपुरा में आये हुए है जिनका अपासी बंटवाड़े के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार चौहटन के मार्फत तलब किया गया था। अपीलांट के मौके पर कब्जा व काश्त के अनुसार रकबा तो तय कर दिया परन्तु अपीलांट के मौके पर कब्जा व रहवासीय ढाणी के अनुसार नक्शा फर्द बनवाने का हल्का राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी ने आश्वासन दिया था परन्तु ग्राम बाछड़ाऊ का नक्शा फटा हुआ व सही हालत में नही था उसका फायदा उठा कर रेस्पोडेंट संख्या 01 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर गलत नक्शा बनवा दिया गया। अपीलांट के कब्जा की 2 से 3 बीघा जमीन व रहवासी ढाणी को अपीलांट के हक में नहीं रख कर उक्त हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 01 के हिस्से में दर्शा दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा मौका देखने का अवसर अपीलांट को नहीं दिया गया जिस कारण अपीलांट के अधिवक्ता ने जब नक्शा मौका की फर्द को ही नहीं होने के कारण उस विभाजन प्रस्ताव को गलत होने के कारण अस्वीकार कर पुनः सी विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा व अपीलांट की रहवासी ढाणी को अपीलांट के कब्जे में बता कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का निवेदन भी किया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के वकील का निवेदन को अस्वीकार कर गलत रूप से निर्णय पारित कर दिया गया। उक्त हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 01 के हिस्से में दर्शाने व रेस्पोडेंट संख्या 01 की हिस्से की जमीन 2 से 3 बीघा अपीलांट के हिस्से में गलत रूप से दिखाने का केवल मात्र विवाद है शेष पुरे निर्णय के बारे में ग्राम बाछड़ाऊ व खेमपुरा के खेतो के बंटवाड़े के बारे में कोई विवाद नहीं है केवल मात्र इस निर्णय में उपखण्ड अधकारी चौहटन द्वारा तरमीम दुरस्ती के आवेदन पर दिनांक 12.02.2014 के दिये गये मौका पर कब्जा काश्तनुसार मौका फर्द व नक्शा फर्द बनवाने के आदेश पर राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी के द्वारा दिनांक 23.02.2014 को मौका फर्द व नक्शा फर्द बनाई गई थी उसी अनुसार इस मूल निर्णय में केवल इतना संशोधन करवाने हेतु यह अपील श्रीमानजी के समक्ष पेश की गई जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक वहस में वताया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार चौहटन के द्वारा विभाजन प्रस्ताव के साथ जो नक्शा मौका पेश किया गया था वह गलत था उस नक्शे में अपीलांट की पुरानी रहवासी ढाणी व ढाणी के पास उपजाऊ जमीन जो गवेशीयो के रखने से उनकी खाद् से उपजाऊ बनाई गई थी जिस पर अपीलांट का पुराना कब्जा व काश्त था उस भूमि को गलत रूप से रेस्पोडेंट संख्या 01 के हिस्से में दर्शाई जाकर उसी अनुसार फैसला करने में भारी तथ्यों की भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की आड़ में रेस्पोडेंट संख्या 01 जान बुझ कर अपीलांट की ढाणी से बेदखल करने पर आमादा है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से जो जमीन धोरो वाली व रेतीली जमीन दी गई हैं व कुल 4 टुकड़ों में जमीन दी गई। दो टुकड़े तो 3–3 बीघा के है इन सबके उपरान्त भी अपीलांट ने यह बंटवाड़ा मजबूरी में स्वीकार भी किया। परन्तु अपीलांट की रहवासी ढाणी है जो अपीलांट के दादा उम्मेदाराम ने जमीन बांटकर बराबर दी थी उस जमीन में ढाणी बनाई हुई हैं उस ढाणी व उसके पास 2 बीघा जमीन मौके पर बंटवाड़े की मौका फर्द बनाते समय अपीलांट के हक में रखी गई थी परन्तु बाद में रेस्पोडेंट संख्या 01 ने हल्का पटवारी व हल्का राजस्व निरीक्षक से मिलावट कर ये दो बीघा जमीन मय ढाणी के आपके नक्शे में दर्शा दी व धोरे की तरफ 2 बीघा जमीन जो रेतीली हैं काश्त योग्य न ही हैं धोरे की चढाई पड़ती है वह जमीन अपीलांट के हिस्से में दी गई। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.09.2005 के निर्णय में केवल मात्र अपीलांटगण के हिस्से में ग्राम बाछड़ाऊ के खेत खसरा संख्या 491/1 रकबा 17 बीघा के नक्शे में जो हिस्सा अपीलांट की रहवासी ढाणी को रेस्पोडेंट संख्या 01 के हिस्से में बताये जाने के कारण केवल उस विवाद तक ही सीमित है शेष निर्णय के बारे में कोई विवाद नहीं है। अपील के साथ पेश परिशिष्ट "अ" के अनुसार निर्णय में संशोधन किये जाने से किसी भी रेस्पोडेंट को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी और न ही उसके कब्जा पर विपरित असर पड़ेगा, केवल रेस्पोडेंट संख्या 01 जान बुझ कर अपीलांट को अपनी ढाणी से बेदखल करने की नियत से असहमति जता रहा हैं। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अपीलकर्ता एवं उतरदातागण संख्या 01 से 05 के मध्य उक्त खेतो का आपसी तौर पर बाहमी बंटवाड़ा हुआ था जिस मौखिक बंटवाड़े के अनुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज हो गये थे तथा उनकी रहवासी ढाणीया, टांके बाड़े इत्यादि बने हुए थे लेकिन पक्षकारान द्वारा वादग्रस्त खेतो को लेकर आपसी तौर पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विवाद हुआ था। जिस पर पक्षकारान द्वारा अपने खेतो का विधिवत बंटवाड़ा करवाने हेतु हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया था। जिस पर तहसीलदार चौहटन द्वारा टीम गठन कर अपीलकर्ता एवं उतरदातागण को सूचाना देने के उपरान्त वादग्रस्त खेतों का मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें विवाद होने पर पुनः दिनांक 24.02.2004 को पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः विभाजन प्रस्ताव मौके पर तैयार किया गया जिस पर सभी पक्षकारान ने उक्त विभाजन प्रस्ताव सही होना स्वीकार कर अपने हस्ताक्षार एवं अंगुष्ठ निशान किये थे तथा उक्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है उसको तैयार करते वक्त अपीलांट के पिता पोकराराम स्वयं मौके पर उपस्थित आऐ तथा उनके मौका फर्द पर हस्ताक्षर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त अपीलांटगण के पिता को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलाधीन निर्णय डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अपीलांटगण द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपीले पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अपील को म्याद के बिन्दु पर खारीज करने का न्यायालय से निवेदन भी किया है यह बात सही हैं कि यह अपील किन परिस्थितियों व बिन कारणों से समय पर पेश नहीं की जा सकी। इस अपील को म्याद बाहर ले जाने का दोष अपीलांट का नहीं है। वाद संख्या 35/2000 का निर्णय हो जाने पर अपीलांट, उपर वर्णित रहवासी ढाणी के बिन्दु से असंतुष्ट होकर इस में सुधार करवाना चाहता था अपीलांट ने समय पर वकील साहब से सम्पर्क भी किया। संबंधित वकील साहब ने उक्त निर्णय की राजस्व अपील अधिकारी महोदय के न्यायालय में अपील पेश करने के बजाय नक्शा में तरमीम करवाने का मामला समझ कर उपखण्ड अधिकारी महोदय चौहटन के न्यायालय में धारा 128, 111 व 136 राज. भू. रा.अधि. के अन्तर्गत तरमीम दुरस्ती का आवेदन प्रार्थना–पत्र पेश कर दिया गया था जबकि इस निर्णय में जो विभाजन प्रस्ताव का नक्शा न्यायालय द्वारा जारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया गया था व उस नक्शे में अपीलांट की रहवासी ढाणी रेस्पोडेंट संख्या 01 के हक में बने नक्शे में चली गई थी इस कारण तरमीम दुरस्ती का आवेदन गलत पेश किया था इसमें अपीलीय न्यायालय में अपील पेश कर विभाजन प्रस्ताव के नक्शा को दुरस्त करवाना चाहिए था। तरमीम दुरस्ती का आवेदन न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2018 को खारीज कर दिया गया। इस दौरान अपीलांट के पिता का स्वर्गवास हो जाने पर अपीलांट को इस प्रकरण की पुरी जानकारी नहीं थी। रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपीलांट की रहवासी ढाणी से बेदखल करने बाबत् तहसीलदार चौहटन से पटवारी पर दबाव बनाया व हल्का पटवारी ने कहा कि अब आपको ढाणी हटानी पड़ेगी तब हम हमारे वकील साहब के पास गये तो उन्होंने इस अपील पेश करने से 5–7 दिन पूर्व हमें जानकारी दी की आपका आवेदन खारीज हो गया हैं तब हम दुसरे वकील साहब से मिले तो उनहोंने बताया कि आपका अपीलीय न्यायालय में इस निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करनी चाहिए थी तरमीम दुरस्ती का आवेदन गलत लगाया है जिस पर हमने नकलें ली व सही जानकारी होने से जानकारी की दिनांक से 10–12 दिन के अन्दर –अन्दर यह अपील पेश कर दी गई थी इस कारण अपीलांट ग्रामीण परिवेश का अनपढ, व्यक्ति होने व वकील साहब पर विश्वास कर, वकील साहब द्वारा गलत आवेदन पेश करने व आवेदन के निर्णय की सही जानकारी वकील साहब द्वारा अपीलांट को नहीं देने के कारण यह देरी सदभाविक रूप से हुई हैं इसमें अपीलांट का दोष नहीं है। जहां प्र्याप्त हेतु उपलब्ध हो, वहां म्याद बिन्दु पर न्यायालय को उदार अर्थ लगना चाहिये, केवल म्याद बिन्दु पर पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। म्याद बिन्दु के प्रार्थना–पत्र को गुणवता के आधार पर स्वीकार फरमाया जावे। अतः अपीलांट का म्याद बिन्दु को स्वीकार कर अपील को म्याद में शुमार मानकर अपीलांट द्वारा चाहा गया निर्णय में छोटा सा संशोधन स्वीकार करने की जो इस्तदुआ हैं उसे स्वीकार करने का आदेश फरमाया जावे। अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

RRT 2005(2) Page 887

RRD 2005Page 500

RRT 2008(1) Page 1406

RRD 2004 Page 261

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

में पारित की गई है फिर भी अपीलांटगण को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं होने का तथ्य सरासर गलत एवं झूठा है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का **उचित व युक्तियुक्त कारण नहीं दर्शाया गया है** जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अपील पेश करने में हुऐ विलंब के बारे में मनगढत व झूठे तथ्य अंकित किये है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में पारित किया गया। अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील अकारण विलम्ब से पेश की गई है हस्तगत अपील को सुदीर्घ अवधि तकरीबन 14 वर्ष बाद पेश किया गया है जिसका कोई विधि सम्मत कारण नहीं बताया गया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। चुंकि न्यायालय द्वारा मैरिट पर बहस सुनने के कारण मैरिट पर निर्णय पारित करना भी न्यायोचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के पिता को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट द्वारा बार–बार आपति जताई और अधीनस्थ न्यायालय ने आपति के मद्देनजर पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये। अंतिमत और तीसरी बार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव बाकायदा मौके पर अपीलांट की उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए उभयपक्ष की मौजूदगी में बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 27.09.2005 को अंतिम डिक्री जारी की गई। विभाजन प्रस्ताव बाकायदा भूमिधारक (तहसीलदार) चौहटन स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए उभयपक्ष की मौजूदगी में मौका फर्द (दिनांक 24.02.2004) तैयार किया जिसका अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट आया है कि अपीलांट के पिता ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया। अपीलांटगण के पिता पोकराराम बार–बार आपति एवं सहमति का इजहार

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

कर हर बार कोई नया विवाद पैदा कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की मंशा रखता है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound तैयार किये गए तहसीलदार चौहटन से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांटगण की अपीले मियाद बाहर सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 35/2000 बअनवान रावताराम बनाम डालुराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.09.2005 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 15.11.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर